बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या–सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–06/2017–**864**/ पटना, दि०–**09.11.2022**

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। – (i) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।

   (ii) संशोधन अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगी।

   (iii) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "40,000/– (चालीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "50,000/– (पचास हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "50,000/– (पचास हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "55,000/– (पचपन हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15,00,000/– (पन्द्रह लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25,00,000/– (पचीस लाख) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,000/– (दस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15,000/– (पन्द्रह हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/– (तीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "40,000/– (चालीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम–8(क), (ख)(iv), (ख)(v) एवं (घ)(iv) में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम–8(क) की पांचवी पक्ति, (ख)(iv) की पहली पंक्ति, (ख)(v) के चौथे एवं पांचवे परन्तुक की तीसरी पंक्ति तथा (घ)(iv) की पहली पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक "20/– (बीस) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्टक "25/– (पचीस) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9(1) में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 (1) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000/– (दो हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3000/–(तीन हजार) रूपये" द्वारा एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3500/–(तीन हजार पाँच सौ) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''3,00,000/– (तीन लाख) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''4,00,000/– (चार लाख) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''28,000=00/– (अठाईस हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''35,000/– (पैंतीस हजार) रूपये'' तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''7000=00/– (सात हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''8,000/– (आठ हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''35,000/– (पैंतीस हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''45,000/– (पैंतालिस हजार) रूपये'' तथा छठी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''3,000/– (तीन हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''4,000/– (चार हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन।** – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''2,00,000/– (दो लाख) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उदय प्रताप सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–06/2017–**864**/पटना, दि0–**09.11.2022**

प्रतिलिपि–महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मा० मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–06/2017–**864**/पटना, **दि0–09.11.2022**

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध करना है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें एवं आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\Dell\Desktop\Act_Rules\Legislature rule amendment 02-11-2022 with Table Form.docx